

27-9-22

दस्तावेज

वकील उद्योगपट्टा अधिनियम। वकील वाही एवं वाही द्वारा दान विद्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया कि पश्चिम के मुख्य मन्त्रीनाथ लोक वेदवारे के इंडाज-की विकल्प में हो-कुंठे हैं) अतः दान विद्रो करना चाहते हैं)

पश्चात्की एक अग्रलेख किया वाही को वांछित अनुमति प्राप्त है (युक्त है) आदेश 23 किया। एक के लिये वाही अपना दान उलीकी स्तर पर विद्रो कर सकता है। अतः वाही को दान विद्रो की अनुमति दी जाती है। दान वाही विद्रो के आधार पर शर्तित किया जाता है। पश्चात्की फेसलशुका लोक दानविल लफ्फ 2 र 1

मालत
कदमा

मुख्य अधिकारी
बौलपर (राज)